15.00 hrs.

That is what we are stressing. It has been appreciated by the Finance Commission and they have given it. Why should you take this away from this State and other States which have been provided this money? Therefore, I earnestly request you Mr. Mukherjee once again—your other expenditures are there but the States expenditure cannot be met from any other source, you have got other sources, the States have no other source—for the sake of India as a whole, you should accept the recommendations of the Finance Commission w.e.f. Ist of Aprill, 1984.

———

15.01 hrs.

DICUSSION *RE* : SITUATION ARISING OUT OF RECENT COMMUNAL RIOTS IN DIFFERENT PARTS OF THE COUNTRY

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, we take up discussion under Rule 193.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, हाल में देश के विभिन्न भागों में जो साम्प्रदायिक उपद्रव हुए हैं, मैं उनके बारे में चर्चा आरम्भ कर रहा हूं। बैलेट में मेरा नाम निकला है, यद्यपि यह समय साम्प्रदायिक स्थिति पर बहस करने का कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। यह लोक सभा की आखरी बैठक है। चुनाव हमारा दरवाजा खटखटा रहा है। क्या यह सम्भव होगा कि राजनीति से अलग रह कर, दलगत हानि-लाभ की चिन्ता किये बिना, हम इस नाजुक लेकिन गम्भीर विषय पर चर्चा कर सकें ?

हाल में भिवंडी, थाना, बम्बई और हैदराबाद में उपद्रव हुए हैं। उनको किसी न किसी रूप में सदन में उठाया गया है। एक बात तो स्पष्ट है कि साम्प्रदायिक दंगों में वृद्धि हो रही है। मैं दोषारोपण की दृष्टि से यह नहीं कह रहा हूं, मैं वस्तु-स्थिति को सामने रखना चाहता हूं। आंकड़े जो कहानी कहते हैं वह कहानी चिन्ताजनक है।

Year	Number of incidents	Number of persons killed	Number of persons injured
1981	162	87	2613
1982	474	238	3025
1983	404	202	3478

1984 के अभी पूरे आंकड़े नहीं आए है, क्योंकि वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन जो समय गुजरा है उसमें—

Number of incidents—156 ; number of persons killed—297 ; number of persons injured—1858.

उपाध्यक्ष महोदय, इस में असम में जो उपद्रव हुए, वे शामिल नहीं किये गये हैं। सरकार का कहना है कि ये उपद्रव विदेशियों की समस्या से सम्बन्धित थे। इसलिए उन्हें हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष के रूप में पेश नहीं किया गया है। अगर उन

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

आंकड़ों को भी हम जोड़ लें तो जो तस्वीर सामने आती है वह बड़ी भयावह है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है, दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि साम्प्रदायिक उपद्रव हमारे देश के लिए कलंक हैं। ये हमारी मान्यताओं के खिलाफ हैं। वे मान्यताएं धार्मिक हों, सांस्कृतिक हों, राजनीतिक हों, सवैधानिक हो, उन सब के खिलाफ हैं। देश में साम्प्रदायिक हिंसा और हत्या का बढ़ना हर देश-भक्त व्यक्ति के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय होना चाहिए। लेकिन शुरू में जैसा मैंने कहा, क्या हम इस प्रश्न को एक राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में देखने के लिए तैयार हैं।

हाल में भिवंडी, थाणे और बम्बई में दंगे हुए। हैदराबाद में भी दगे हुए क्या यह सच नहीं है कि उन दगों के बारे में हमारी प्रतिक्रिया अलग-अलग थी? दूसरे सदन मे एक दिन हगामा मच गया कि हैदराबाद के दंगों के बारे में तत्काल बहस होनी चाहिए और आन्ध्र प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री इलाज के लिए अमेरिका गये हैं किन्तु उन पर भी आक्षेप करने में संकोच नहीं किया गया। एक व्यक्ति बीमार है, अस्पताल में पड़ा है जिन्दगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, क्या उस के बारे में भी हम करुणा, ममता और अपनत्व की भावना प्रकट नहीं कर सकते। अगर हैदराबाद के दंगों के लिए, जिस में 11 लोग मरे हैं, आन्ध्र की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए तो क्या महाराष्ट्र की सरकार को छोड़ दिया जाना चाहिए? महाराष्ट्र के दंगों में मरने वालों की संख्या 263 है। ....(व्यवधान)....मै आफिशियल आंकड़ों की बात कर रहा हूं।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : मैं यह पूछना चाहती हूं कि आप स्टेट्स के बारे में बोल रहे हैं या कम्युनल रायट्स के बारे में बोल रहे हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिक उपद्रव कहीं न कहीं हो रहे हैं। जो स्थान हैं, वे किसी न किसी राज्य में हैं, मै राज्य का उल्लेख किये बिना कैसे बोल सकता हूं।

गृह मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : आप इस प्रश्न को राष्ट्रीय दृष्ट से देखना चाहते हैं, तो उसी दृष्टि को ध्यान में रख कर कुछ कहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : देखना तो चाहता हूं मगर ऐसा करने में जो बाधाएं हैं, मैं उन्हें समझा रहा हूं।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात राष्ट्रीय दृष्टि से कहिये।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति : आप कहते है कि एन. टी. आर के लिए हमने वैसा किया लेकिन वैसा कोई नहीं करता है हमारे देश में जैसा उन्होंने किया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप मांग कर दीजए कि महाराष्ट्र की सरकार अपने पद पर रहने लायक नहीं है, उस को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। क्या कांग्रेस (आई) के सदस्यों में यह कहने का साहस है? क्या महाराष्ट्र की सरकार भिवंडी में, ...थाणे में, बम्बई में दंगे

रोकने में विफल नहीं हुई ? महाराष्ट्र की सरकार ने जिन को दंगों के आरोप में जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने हथियार बांटे, जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से हथियार लाने के लिए पैसा दिया और फिर जिन्हें नजरबन्द किया था, महाराष्ट्र की सरकार ने उन्हें छोड़ दिया। मेरे पास डिटेंशन आर्डर्स की नकलें हैं। क्या मतलब है इस का ? जो कांच के घरों में बैठे है, वे औरों के घरों पर पत्थर न फेंकें। हैदराबाद के दंगे निन्दनीय हैं और उन के लिए भी जिम्मेवार ठहराना चाहिए मगर सरकारों को नापने के अलग-अलग गज नहीं हो सकते।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : सरकार की तरफ से कुछ हुआ ही नहीं। आप क्या बातें कर रहे हैं ? ....(व्यवधान)....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर इस तरह से टोका-ठाकी होगी, तो आज मैं कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस (आई) के सदस्यों को बोलने नहीं दिया जाएगा। जब पंजाब पर चर्चा हो रही थी, उस वक्त जब मैंने जम्मू व कश्मीर का नाम लिया, तो एक वावेला खड़ा हो गया। आप उस दिन की कार्यवाही देख लीजिए, आधा घंटा बरबाद हो गया और जब श्री राजीव गांधी बोले, तो वे पश्चिम बंगाल की तरफ चले गये। तब न अध्यक्ष ने रोका और न कांग्रेस वालों का मुंह खुला। आप बाहर ही दो गज नहीं अपना रहे है बल्कि इस सदन में भी अपना रहे हैं। ....(व्यवधान)....

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : ये चैलेंज दे रहे हैं और हम चैलेंज का स्वीकार करते हैं। ये सदन में बैठें और हम को हमारी बात भी सुननी पड़ेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, टोका मुझे जा रहा है, और कहा जा रहा है कि मैं प्रोवोक कर रहा हूं........

आचार्य भगवान देव : आप बोलिए....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां, मैं बोलूंगा। मैं आपकी दया पर नहीं आया हूं और न प्रधानमन्त्री का पल्लू पकड़ कर आया हूं....

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : हां, हां हमें आप का चैलेंज स्वीकार है।....

(व्यवधान)

गृह मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : आप जो कहना चाहते हैं वह कहिए।

आचार्य भगवान देव : एन. टी. आर. की वकालत करने के लिए यहां खड़े हुए हैं। आपको नियम 193 के अधीन चर्चा करनी चाहिए। एन. टी. आर. की ममता है, वह बीमारी के कारण अस्पताल में हैं। क्या मतलब है वकालत करने का ? यह उनके हाथों में खेल रहे हैं।

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: I would like to listen to Shri Vajpayee with all seriousness on this subject. Let us not go intn other things.

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur): He has not spoken for 5 minutes and this is how he is being interrupted. If this is the way of listening to speeches, how can we continue ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nobody need come to the rescue of Shri Vajpayee. He is a powerful orator who can look after himself.

आचार्य भगवान देव : यह चैलेंज कर रहे हैं, हमें स्वीकार है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, कोई इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता और बढ़ती हुई साम्प्रदायिक हिंसा यह हमारे सेक्यूलर आदर्श के लिए एक चुनौती है । हमने समझबूझ कर भारत को एक सम्प्रदाय निरपेक्ष राज्य बनाने का फैसला किया है । राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है । विभिन्न धर्मों को मानने वाले इस देश में रहते हैं और सब के साथ राज्य की बराबरी का व्यवहार करना है । यह ठीक है कि सैक्यूलर का अर्थ हमारे देश में धर्म विरोधी या अधार्मिक नहीं है । सर्व धर्म सम्भाव की बात इस देश में रही है । यह दंगे, हिंसा, लोगों को जिन्दा जलाया जाना—दुनिया वाले हमारे सेक्यूलरवाद पर अगर भरोसा न करें तो हम दुनिया वालों को दोष नहीं दे सकते ।

दंगों के दो स्वरूप हैं । एक स्वरूप है प्रशासन का । उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं यह कहता हूं कि तस्वीर भयावह है तो मैं इस बात पर भी बल देना चाहता हूं कि इस भयावह तस्वीर में भी आशा के और विश्वास के कुछ-कुछ दिये ऐसे टिम-टिमा रहे हैं, हम अगर चाहें तो उनकी रोशनी में रास्ता निकाल सकते हैं ।

मैंने आंकड़े इकट्ठे किये हैं, उन शहरों के नाम इकट्ठे किये हैं जिनमें पिछले 4 साल में दंगे हुए । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि ऐसे 35-40 शहर से ज्यादा नहीं हैं । यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन 30-40 शहरों में एक साथ दगे नहीं होते । एक शहर में दंगा होता है, पड़ोस में शान्ति रहती है, अलग-अलग धर्म को मानने वाले अपना काम करते रहते हैं, भाई चारे का बन्धन टूटता नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन जिलों को सेन्सिटिव डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में छांटा गया था और यह कहा गया था उन जिलों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा-सा वहां तनाव पैदा हो तो उसकी रोकथाम की जानी चाहिए, अगर दंगा भड़क जाए तो उसका कड़ाई से दमन किया जाना चाहिए, दंगा करने वाले हिन्दू हों या मुसलमान उनके साथ रियायत नहीं बरती जा सकती वहां क्या हुआ । आज प्रशासन कहां पहुँच गया है, इसका मैं उल्लेख बाद में करूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जहां बार-बार दगे होते हैं . . हैदराबाद, बड़ौदा, अहमदाबाद में भी 1982 में हुआ है, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, मालेगांव, खुर्जा, टांडा बहराइच ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : बार-बार कहां हुआ है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हैदराबाद में 1980 में हुआ । मेरे पास 1982-83 के आंकड़े हैं । उसके बाद 1983 में फिर हैदराबाद में हुआ है, जनवरी में हुआ, मई में हुआ, फिर सितम्बर में हुआ । इसी तरह से बड़ौदा में हुआ । 1982 में मार्च में हुआ, अक्तूबर में हुआ फिर दिसम्बहै में हुआ ।

कुछ जिलों में, और उनमें भी कुछ स्थान, जिन्हें अंग्रेजी में सैंस्टिव कहते हैं, जहां दंगा भड़क सकता है और छोटी-सी बात को लेकर भड़कता है । स्पष्ट है

कि पहले थोड़ा-सा तनाव रहता है, मद्-भाव का अभाव रहता है, कुछ स्थानों में आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है, निहित स्वार्थ दोनों तरफ से दंगों को भडकाने में रुचि लेते हैं, बात बिगड़ जाती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उन्हीं स्थानों पर दंगों का होना, मैं इस सम्बन्ध में भिवण्डी का भी उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि 10 साल पहले वहां भारी दंगा हुआ था, सरकार ने ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए कि दंगा होने से पहले ही उसकी रोकथाम की जा सके ?

प्रधान मन्त्री जी ने गाइड लाइन्स दी थीं। श्री वेंकटसुब्बैया सदन में होते और और वह जवाब देते तो पूरी गाइड लाइन्स पढ़कर सुना देते, मगर यह नहीं बताते कि उन पर अमल क्यों नहीं हुआ ?

मैं एक ही गाइड लाइन बताना चाहता हूं —

> "The State Governments are being advised that areas which have been identified as communally sensitive riot-prone, district and police officers of the highest known efficiency, impartiality and secular record must be posted in such areas and even elsewhere the prevention of communal tension should be one of the primary duties of the D.M. and the Superintendent of Police."

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री के इस निर्देश का पालन कियाग या है, यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ? क्या हमने किसी भी जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिन्टेंडेंट को दंगा भड़काने के लिए उत्तरदायी ठहराया है ? क्या इसके लिए किसी बड़े अफसर के खिलाफ कार्यवाही हुई है ? क्या प्रधान मन्त्री के निर्देश केवल कागज के लिए हैं या सिर्फ जनता को बताने के लिए, बहलाने के लिए हैं, क्या अमल के लिए नहीं है ?

हाइएस्ट एफीशियेन्सी के अफसर, जिनका दृष्टिकोण असाम्प्रदायिक है, नियुक्ति में यह ध्यान क्यों नहीं रखा जा सकता है, या अफसरों की नियुक्ति सिफारिश के आधार पर होगी ?

क्या यह सच नहीं है कि जब दंगा होता है तो उसकी चर्चा होती है, जांच कमीशन बैठता है, शोर मचता है, हम सब बहस करते हैं, लेकिन एक बार दंगा समाप्त हो गया तो फिर रिपोर्ट अलमारी में पड़ी रहती है और प्रशासन फिर अपने ढंग से चलने लगता है, राजनीतिक नेतृत्व भी इस बारे में जितना जागरूक होना चाहिए, नहीं रह पाता है।

दंगे का एक नया स्वरूप सामने आ रहा है कि अब पुलिस के साथ मुठभेड़ें बढ़ गई हैं। पुलिस पर खुलेआम पक्षपात के आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले मेरठ में हुआ, मुरादाबाद में भी शिकायतें हुई थीं। पंजाब का मामला साम्प्रदायिक उपद्रव के अन्तर्गत नहीं आता, लेकिन पंजाब में भी राज्य पुलिस के खिलाफ लोगों को गम्भीर शिकायतें हैं। अब भिवण्डी में हैं। पुलिस किधर जा रही है ? पुलिस का पुनर्गठन क्यों नहीं हो रहा है ? पक्षपात से भरी हुई पुलिस न तो कानून और व्यवस्था का पालन कर सकती है और न दंगा होने पर निष्पक्षता से व्यवहार कर सकती है।

महाराष्ट्र की पुलिस का तो यह हाल

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

है, मैं जानता हूं कि पुलिस में सब लोग खराब नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे अफसर भी हैं, मगर महाराष्ट्र की पुलिस का भी हमें एक अनुभव है। लातूर जिले में ठेवणी नामक ग्राम में पंचायत के चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई। कांग्रेस चार सीटें जीत गई। जो पुलिस अफसर वहां मौजूद था वह नाचने लगा, नारे लगाने लगा। वह अपनी खुशी को छिपा नहीं सका, उसके बाद कांग्रेस हारने लगी। कुल मिला कर चुनाव में कांग्रेस हार गई। भारतीय जनता पार्टी उस पंचायत में जीत गई। जीते हुए लोगों ने जुलूस निकाला। गांव में लाठी चार्ज हुआ। घरों में घुस कर लोगों को मारा गया, औरतों और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया।. . .(व्यवधान). . . अगर राजनीतिक पक्षपात हो सकता है तो फिर आप साम्प्रदायिक पक्षपात कैसे रोकेंगे पीयूष कर्षण जी? यह दूसरी प्रतिभूति आ गई।. . .(व्यवधान). . .

अच्छा मैं हैदराबाद पर बोलता हूं तब आपको पसन्द आएगा।

मैं पूछना चाहता हूं जिस तरह से महाराष्ट्र में जिन्हें नजरबन्द किया गया था और अमैंडेड नेशनल सिक्योरिटी ऐक्ट के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया था उन्हें जिस तरह से छोड़ दिया गया उससे क्या पुलिस की प्रतिष्ठा रह गई? क्या पुलिस कमिश्नर की इज्जत रह गई? मेरे पास डिटेंशन आर्डर्स हैं, पुलिस कमिश्नर के दस्तखत हैं। मैं उन्हें पढ़ना नहीं चाहता, समय कम है। निश्चित आरोप हैं हथियार इकट्ठा करने के, हथियार इकट्ठा करने के लिए पैसे देने के। अब जो नया अमैंडेड नेशनल सिक्योरिटी ऐक्ट है उसके अन्तर्गत अगर एक अपराध भी अस्तित्वहीन हो या अस्पष्ट हो तो नजरबन्दी अवैध घोषित नहीं की जाएगी। फिर छोड़ा क्यों गया? क्या राजनैतिक सौदा हुआ है? थोड़े शिव सेना के छोड़ने हैं. . .

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वह अभी पास कहां हुआ है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पास नहीं हुआ है मगर उस पर अमल हो रहा है। गृह मंत्री महोदय को पता नहीं है। ये डिटेंशन आडर्स उसी के अन्तर्गत निकले हैं। आर्डिनेंस निकल गया है, वह अमल में आ रहा है। यह मेरे पास है, मैं पढ़ कर बताऊं?

जो पकड़े गए वह कुख्यात तस्कर थे। कोफेपोसा में नहीं पकड़े गए। अगर वह तस्करी के लिए पकड़े जाते तो कोफेपोसा में पकड़े जाने चाहिए थे। पकड़े गए दंगे में हिस्सा लेने के लिए और पुलिस कमिश्नर ने कहा है:

> "Detentions havenothing to do with the crackdown of smugglers. But they are solely connected with the recent communal disturbances.

या तो गिरफ्तारी गलत थी या रिहाई गलत है। दोनों तो सही नहीं हो सकते। क्या यह सही है कि प्रधान मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है कि जिस तरह से रिहाई की गई वह गलत है? मैं जानना चाहता हूं महाराष्ट्र की सरकार का कोई कान खींचने वाला है या नहीं। और अगर कान खींचा गया तो बताइए। हमारे कुछ कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि

सारा दंगा कराया गया दादा को सत्ता से हटाने के लिए । यह कुछ कांग्रेस के मित्र ही कहते हैं । मैं नहीं जानता इस में कहां तक सचाई है । लेकिन मेरा निवेदन यह है कि पुलिस का पुनर्गठन जरूरी है । पुलिस का मनो ल बढ़ाया जाना चाहिए । पुलिस का राजनीतिकरण हो रहा है, उस को रोकना चाहिए । राजनैतिक नेताओं को पुलिस के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । अगर जरूरत हो तो पुलिस के प्रशिक्षण का तरीका बदला जाय । पुलिस वालों की शिकायतें दूर की जायं । पुलिस कमीशन बना था । उस की सिफारिश आ गई । किन्तु सिफारिशें लागू नहीं की गई । अगर पुलिस बल पर्याप्त नहीं है तो सेना को बार-बार बुलाने के बजाय मैं चाहूंगा कि सी. आर. पी. और बी. एस. एफ. को और भी सज्जित किया जाय, सन्नद्ध किया जाय ।

अगर आवश्यकता हो तो केन्द्रीय सरकार कोई नेशनल गार्ड्स जैसा संगठन बनाए जो ऐसे मौकों पर जा सके और जिसके जाने पर लोग यह न समझें कि सेना बुलाई गई है । मुझे मालुम है भिवण्डी में जो पीड़ीत थे वे सेना चाहते थे । पंजाब के हिंदू भी आज चाहते हैं पंजाब में सेना रहे । ऐसी विचित्र परिस्थिति देश में पैदा कर दी गई है कि ऐसा लगता है कि राजनीतिक नेतृत्व समस्यायें हल नहीं कर सकता । अगर जिन्दा भी रहना है तो फौज को बुलाओ । मुझे कहना है कि यह स्थिति बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत अस्वस्थ स्थिति है जिसको बदला जाना चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नेशनल इंटिगरेशन कौंसिल बनी, उसकी बैठकें हुई, कुछ सिफारिशें की गई । उन सिफारिशों का क्या हुआ ? क्या जब उपद्रव होंगे तभी नेशनल इंटिगरेशन कौंसिल की याद आयेगी ? उपद्रव शांत होते ही हम मानकर चलेंगे कि अब राष्ट्रीयता को संवर्द्धित या बलशाली बनाने की आवश्यकता नहीं है ?

तीसरी चीज यह है कि कांस्टीटूएन्ट असेम्बली जो बनी—अगर चौधरी साहब इस बहस में भाग लेते तो इसका जरूर उल्लेख करते—उस कांस्टीटूएन्ट असेम्बली ने कहा था कि देश के बटवारे के बाद, गांधी जी की हत्या के बाद, किसी भी साम्प्रदायिक दल को, ऐसे दल को जिसके दरवाजे सभी भारतीयों के लिए खुले न हों, राजनीति में भाग लेने का और चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए । अभी पंजाब के मित्र एक विधेयक लाए थे । (**व्यवधान**) आप चिन्ता मत करिए, करके दिखाइये । पंजाब के सदस्य बिल लाए थे । (**व्यवधान**)

श्री राम प्यारे पनिका : अटल जी ने दोहरी सदस्यता का प्रश्न उठाया था और उस समय पार्टी टूट गई थी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ये जरा फिर से पढ़कर आयें ।

श्री वेंकटसुब्बैया जी ने हैदराबाद में भाषण दिया कि इस सवाल पर एक नेशनल कान्फेन्सस बनाना है । मैं पूछता हूं सत्तारूढ़ पार्टी का मत क्या है ? क्या इस सवाल पर सत्तारूढ़ पार्टी की दृष्टि स्पष्ट है ? क्या हम यह फैसला करने के लिए तैयार हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई साम्प्रदायिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है तो वह अपने क्षेत्र में काम करे, लेकिन चुनाव कमीशन मान्यता नहीं देगा,

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

उन्हें चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा और वे चुनाव लड़ने के अधिकारी नहीं होंगे। करिए फैसला अपने दल की ओर से—मैं निमंत्रित कर रहा हूं। कांग्रेस के सदस्य जब बोलेंगे तो मैं उनकी, प्रतिक्रिया सुनूंगा।

चौथी बात यह है कि जब दंगे समाप्त हो जाते हैं तो जैसे सारा कारबार रूक जाता है। उदाहरण के लिए भिवण्डी में एक दंगा बहुत पहले हुआ था, एक कमीशन बना था जिसकी जांच रिपोर्ट आई। उसने कहा कि शिवाजी जयन्ती का जलूस नहीं निकालना चाहिए। कई साल तक जूलस बन्द रहा। फिर अगर जलूस निकालने की इजाजत दी गई तो मैं समझता हूं वह इजाजत ठीक थी। आप देश में शिवाजी जयन्ती या किसी अन्य जलूस को हमेशा के लिए नहीं रोक सकते, रोकना गलत होगा। यह सही है कि कोई भी जलूस ऐसे नारों के साथ न निकले जिससे लोगों की भावनाओं को चोट पहूंचे। पहले भिवण्डी में शिवाजी जयन्ती का जो जलूस निकलता था, उसमें नगरपालिका के अध्यक्ष हिस्सा लेते थे, स्थानीय एम.एल.ए. हिस्सा लेते थे और हिन्दुओं के अलावा मुसलमान भी उसमें हिस्सा लेते थे। एक बार दुर्भाग्यपूर्ण दगा हो गया। इस बार जुलूस निकालने का फैसला हुआ और जुलूस निकालने पर प्रतिबध लगाया गया कि इस मोहल्ले में जुलूस निकले, इतने समय के बीच में निकले। तह प्रतिबंध शायद शासन ने उचित समझे होंगें। लेकिन उस समय राजनीतिक नेतृत्व कहां था ? भिवण्डी के दंगे को टाला जा सकता था। भिवण्डी के दंगे के पहले महाराष्ट्र में साम्प्रदायिक प्रचार हो रहा था, भड़काने वाले भाषण दिए जा रहे थे और समाचार-पत्रों में उन भाषणों की सामग्री भी छप रही थी। क्या समय रहते राज्य सरकार को सक्रिय होकर कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी ? लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था कि जब दंगा शांत हो जाए तो देश में असाम्प्रदायिक आधार पर लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए, मिलजुल कर त्योहार मनाने चाहिए और ऐसी भावना पैदा की जानी चाहिए कि यह सबका सांझा देश है, यहां किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, यहां सभी के साथ न्याय होगा।

दो दंगों के बीच में एकता का कोई ठोस, रचनात्मक और विधायक प्रयत्न नहीं किया जाता। इसी लिए देश के बंटवारे के 36-37 सालों बाद, फिर हमारे सामने साम्प्रदायिकता एक बड़ी समस्या के रूप में खड़ी हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं जब वे गृह मंत्री बने तो मैंने उनको पत्र लिखा था। शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा—आपको बधाई दूं या आप के साथ संवेदना प्रकट करूं। विदेश मंत्री के नाते आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अब ले आए इन्हें गृह मंत्रालय में।

MR. DEPUTY SPEAKER : After congratulations, for sympathy, you can write !

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगले तीन-चार महीने का समय चुनावों से जुड़ा हुआ है। इस लिए राजनीतिक लाभ उठाने की, दंगे भड़काकर दल का संकुचित स्वार्थ

सिद्ध करने की भावना पनप सकती है, बढ़ सकती है। अगले कुछ महीनों में त्यौहार आने वाले हैं। गणेशचतुर्थी आएगी, दशहरा आएगा, मोहर्रम आएगा और बीच में इद-उल-जुहा भी है। सब राज्य सरकारों को सचेत किया जाना चाहिए। मिलकर त्यौहार मनाने की परम्परा अगर प्रदेशों में कायम की जा सके तो उसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं पूछना चाहता हूं कि दंगों के पहले आपका इंटैलिजेंस क्या काम करता है ? इंटैलिजेंस विफल हो जाती है, यह रिपोर्ट हम सुनते हैं, मगर दंगे के पहले इंटैलिजेंस ने क्या खबर दी इसकी रिपोर्ट नहीं मिलती।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : इंटैलिजेंस आपने पहले ही बर्बाद कर दिया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, चार साल पहले हमने बर्बाद किया था और इन्होंने चार साल में आबाद कुछ नहीं किया, इन्होंने और बर्बाद कर दिया। सरकार और विरोधी दल में बर्बादी का कम्पीटीशन चल रहा है !

श्री गिरधारी लाल व्यास : हमारी सरकार नहीं करती है, आपके जैसे विरोधी दल के लोग कर रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, राजनीति में साम्प्रदायिकता आ गई है। साम्प्रदायिकता हिंसात्मक रूप ले रही है। इस हिंसा को देश में बढ़ती हुई विषमता और बढ़ते हुए अविश्वास के कारण एक हवा मिल रही है। इस स्थिति को रोकना, इस स्थिति की रोकथाम करना बहुत जरूरी है। यहां हमारी, आपकी, सबकी नीतिमत्ता कसौटी पर कसी जा रही है। मैंने कहा था कि मैं दोषारोपण से शुरू नहीं करना चाहता हूं। मगर कांग्रेस के सदस्य बिना टोका-टाकी किए मान नहीं सकते हैं। चोर चोरी से जाए, मगर हेरा-फेरी से न जाएं। मैं समझता हूं कि वे दलगत राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। हैदराबाद में जिस तरह से वेंकटसुब्बैया जी ने व्यवहार किया, वह आपत्तिजनक है। मेरे साथ वे हर बार लेख-व्यूह गेस्ट हाउस में रुका करते थे इस बार हवाई अड्डे से सीधे राजभवन में जाने की क्या जरूरत थी ? कांग्रेस का झण्डा लेकर जाने की क्या जरूरत थी ? क्या यह सच नहीं है कि इत्तहादुल मुसलमिन के नेता श्री ओबासी, जिनके खिलाफ वारन्ट निकला हुआ है, अभी तीन दिन पहले प्रधानमंत्री जी से मिले थे। उनसे क्या बातें हुई हैं, मैं जानना चाहता हूं ? **(व्यवधान)**

हम से प्रधान मंत्री ने इसके लिए मुलाकात नहीं की।

MR. DEPUTY SPEAKER : When Minister goes there, he goes with national flag.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Did he not go there with his party flag ? Did he not stay in the Raj Bhavan ? He called a meeting of officers to review the situation. Who is he to review the situation ? Law and order is a State subject. He should have called State Ministers. Is there no State Minister ?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO : I spoke to the Governor himself.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : You are also guilty.

SHRI P. NARASIMHA RAO ; No.

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

गिलटी नहीं। आप जरा सुनिए। बदकिस्मती से वहां के चीफ मिनिस्टर ने, जो कि खुद वहां गृह मंत्री हैं, यह जिम्मेदारी लॉ एंड आर्डर की किसी के ऊपर सौंपी नहीं थी।

एक माननीय सदस्य : "शेम"

श्री पी. वी. नरसिंह राव : शेम की बात नहीं है। ऐसा हुआ है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रधान मंत्री जाती हैं तो क्या अपनी जिम्मेदारी सौंप कर जाती हैं।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : इत्तिफाक से यह हुआ कि लॉ एंड आर्डर की समस्या वहां खड़ी हो गई। तो स्थिति कुछ ऐसी है कि चूंकि किसकी जिम्मेदारी है, यह नहीं कहा गया था, केवल आफिसरों को इसके मामले में देखना पड़ा और कोई मंत्री जाहिर है कि यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं थे। यह एक यादृच्छिक चीज है। इसके बारे में मैं कोई लांछन नहीं कर रहा हूं। आपको स्थिति बता रहा हूं कि वहां ऐसी स्थिति थी। इसलिए मैं अगर वहां जाता हूं और वहां का एक-एक बच्चा मुझे जानता है और मैं बच्चे-बच्चे को जानता हूं। मैं वहां जाकर अगर स्थिति का अध्ययन करना चाहूं तो क्या यह मेरे लिए निषिद्ध है? ऐसा आप समझते हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्ययन करने में आपत्ति नहीं है। दंगे को रोकथाम के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनको रिव्यू करने के लिए आप जायें और कांग्रेस का झण्डा फहराते हुए जायेंगे तो जरूर विरोध होगा।

श्री पी वी. नरसिंह राव : झण्डे की बात छोडिये। मैं वहां जाऊं और वहां के अफसर मुझ से आ कर कहें कि यह-यह हो रहा है, तब भी आपत्ति है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कोई आपत्ति नहीं है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : बस इतना ही हुआ है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, यदि इतना ही हुआ होता तो बात का बतगड़ न हुआ होता। नरसिंह राव जी, जरा वेंकटसुब्बैया जी पर नजर रखें। दंगा हो गया तो उससे दलगत राजनीतिक लाभ उठाने की लालसा का संवरण करना होगा, अन्यथा दंगा कभी राष्ट्रीय विषय नहीं बन सकता था।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि हैदराबाद की हद तक मैं अपनी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि उस को दलगत राजनीति में नहीं लाया जाएगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं लाया जायगा—मैं इस आश्वासन का स्वागत करता हूं। मैं यह भी मानता हूं कि श्री नरसिंह राव जी के सहयोग भी इसी आश्वासन के अनुसार आचरण करेंगे।

श्री ए. के. राय (धनबाद) : यह आश्वासन हैदराबाद के लिये है या समूचे देश के लिये है?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : रायसाहब, इसी में आप ने एक बारीकी निकाल ली है। हैदराबाद की बात हो रही थी, वेंकटसुब्बैया जी की बात हो रही थी, तो मैंने उस का जवाब दिया। चूंकि मैं वहां के लोगों से वाकिफ हूं, मैं जानता हूं कि हम सब कोशिश कर के उसको राजनीति से अलग रखकर कर सकते हैं। यह जो कुछ हुआ है, जहां-जहां हुआ है उस के लिये सब को खेद है, दुख है। यह नहीं कि कोई खुसूसियत हैदराबाद से है। चूंकि बात हैदराबाद की हो रही थी, इस लिए मैंने कहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं यह कहकर समाप्त करना चाहूंगा—साम्प्रदायिक उपद्रवों के साथ देश में जातिगत उपद्रव भी होते हैं, कभी-कभी भाषा भी विवाद का विषय बन जाती है। देश में ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि लोकतन्त्र और हिंसा ये साथ साथ नहीं चल सकते। किसी वर्ग को शिकायत हो सकती है। अगर देश में रहने वाला मुस्लिम सम्प्रदाय आ कर कहे कि उस को कुछ शिकायतें हैं, उस के साथ भेदभाव हो रहा है, तो उस पर गहराई से विचार होना चाहिये। भेदभाव जहां भी हो उस का निराकरण होना चाहिये। लेकिन निराशा में आ कर हिंसा का आश्रय लेना या अपनी मांगें मनवाने के लिए जैसा पंजाब में हुआ हिंसा को औजार बनाना गलत है —हम हर तरह की हिंसा पर आघात करें और देश में ऐसा वातावरण बनायें कि किसी भी चीज को ले कर हिंसा को पनपने नहीं दिया जायगा। हम सारी बातों को आपस में बैठ कर, चर्चा कर के तय करेंगे। यदि ऐसा हो तो मैं समझता हूं देश का वातावरण सुधारा जा सकता है।

इस समय जो अगले चार-पांच महीने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस की जिम्मेदारी प्रशासन पर बहुत ज्यादा है। मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में सब प्रदेशों के प्रशासन को चुस्त बनाया जायगा और यदि दंगे की सम्भावना, आशंका कहीं भी दिखाई देती है तो उस की दृढ़ता से रोकथाम की जायगी तथा भिवण्डी, हैदराबाद के दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास को कहीं भी दोहराया नहीं जायगा।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, अभी हम सब लोग माननीय वाजपेयी जी का भाषण सुन रहे थे। इस में कोई दो रायें नहीं है कि वाजपेयी जी का आज का भाषण उन की पार्टी के रवैये में बदलाव का संकेत करता है। इसी माननीय सदन में हम ने उन्हीं की पार्टी के सहयोगी और उन की पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राम जेठमलानी का भाषण भी सुना था। उस भाषण में और आज के भाषण में बड़ा फर्क है। जहां उन्होंने मुरादाबाद में पी. ए. सी. के रवैये की प्रशंसा की थी, वहीं आज वाजपेयी जी पुलिस के रवैये की आलोचना करने से अपने को नहीं रोक सके।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुरादाबाद नहीं, मेरठ।

श्री जैनुल बशर : मेरठ ही नहीं, सब की उन्होंने प्रशंसा की थी। यह अच्छी बात है कि वाजपेयी जी की बातों में बदलाव की स्थिति पैदा हुई है, लेकिन मुझे शक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए वाजपेयी जी ने भी दंगों का राजनीतिक लाभ उठाने का निश्चय किया हो, और इनका भाषण

[श्री जैनुल बशर]

पैंफलट बन कर बांटा जाय कि वाजपेयी जी और उनकी पार्टी बदल गई है। मैं समझता हूं जिन लोगों की तरफ वाजपेयी जी ने यह इशारा किया है वह इतने बेवकूफ नहीं हैं। इसके लिए, वाजपेयी जी, अभी पुरानी बातों को धुलने के लिए काफी समय लगेगा तब जा कर उनके दिलों में यह बैठ सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुरादाबाद, मेरठ के दंगों के बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद से स्थिति में अचानक एक बदलाव आ गया है, इन दंगों ने एक दूसरा मोड़ ले लिया है। जनता पार्टी के ढाई साल के समय में बड़े-बड़े दंगे हुए, वाजपेयी-जी के आंकड़ों के मुताबिक दंगों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन इसमें सब छोटी-मोटी घटनायें भी हैं। लेकिन बड़ी घटनायें जो जनता पार्टी के जमाने में हुई बिहार में, जमशेदपुर में, उत्तर प्रदेश में, बनारस और अलीगढ़ में कई जगह दंगे हुए और 1980 के बाद भी दंगे हुए। मुरादाबाद में बड़ा दंगा हुआ जहां काफी जानें गईं। मेरठ में दंगा हुआ। लेकिन पहले यह दंगे अधिकतर उत्तरी भारत में हुआ करते थे, चाहे वह जनता पार्टी का समय रहा हो या 1980 के बाद का समय, दंगों का क्रम उत्तरी भारत में अधिक था। लेकिन इधर उत्तरी भारत कुछ शांत है। मेरठ के बाद से कोई बड़ा दंगा उत्तरी भारत के किसी शहर में नहीं हुआ। अब दंगे दक्षिण भारत की तरफ जा रहे हैं। भिवण्डी में, हैदराबाद में तो ऐसा लगता है कि दंगों का एक सिलसिला चल रहा है, पूरी तौर से दंगा शांत नहीं हुआ। जब चुनाव हुआ था उसके तुरन्त बाद दंगा हुआ। जनता पार्टी के काल में भी वहां दंगे हुए, छुटपुट घटनायें बराबर हैदराबाद में हो रही हैं। कर्नाटक, केरल में दंगे हुए। तो आज हमें इस पर विचार करना होगा, सरकार को भी सोचना होगा कि आखिर दक्षिण भारत, जिसकी हम मिसाल दिया करते थे कि वहां साम्प्रदायिक एकता है, वहां आपस में लोगों में नफरत नहीं है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं लोग, आखिर आज उन राज्यों में यह घटनायें क्यों हो रही हैं? उत्तरी भारत जहां बराबर साम्प्रदायिक दंगे हुआ करते थे वहां अपेक्षाकृत आज शांति है। वहां का वातावरण बदल रहा है इसके कारणों में गहराई से हमें जाना पड़ेगा।

भिवंडी में, ठाणे में, बम्बई में जो भी दंगा हुआ है वह पूर्व नियोजित था, वह दंगा कराया गया है और उस दंगे को शुद्ध साम्प्रदायिक दंगा कहना गलत होगा क्योंकि दंगे के पीछे जिस संगठन का हाथ है, शिव सेना का हाथ है, वह कोई शुद्ध साम्प्रदायिक संगठन नहीं है। वह क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीयता के आधार पर वह संगठन पनपी है और उसी आधार पर वह कार्य कर रही है। पहले उनकी नजर दक्षिण भारत के लोगों पर थी, कर्नाटक, तमिल और केरल के लोग और उत्तरी भारत के दूसरे लोग जो बम्बई में जा कर के काम करते हैं। दक्षिण भारतीयों के खिलाफ बम्बई में दंगे हो चुके हैं। अब भिवण्डी को ही क्यों चुना गया दंगों के लिए? भिवण्डी ऐसी जगह है जहां महाराष्ट्र के अलावा दूसरी जगहों के लोग जा कर आबाद हैं और वह अपने पावरलूम्स और हैंडलूम्स चलाते हैं, वहां काम कर रहे हैं, अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं। यह दंगा जान-बूझकर उन लोगों

को बर्बाद करने के लिए, वहां से हटाने के लिए प्लान किया गया और उस पर अमल भी किया गया। इस दंगे के निशान सिर्फ मुसलमान ही नहीं हुए हैं, बहुत लोगों को शायद गलतफहमी हो, इसमें हरिजनों को भी मारा गया है। बिहार के रहने वाले जो भिवण्डी या थाने में रहते हैं, उन्होंने मिलकर दंगाइयों का मुकाबला किया है।

हिन्दू मुसलमान सभी दक्षिण भारत के लोगों ने मुसलमानों के साथ दंगाइयों का मुकाबला किया है, केरल, कर्नाटक और दूसरे जगहों के लोगों ने भी साथ दिया है। यह शुद्ध साम्प्रदायिक दंगा था ही नहीं। ऐसे लोगों ने उसमें मदद की है।

शिव सेना के लोगों ने जान-बूझकर, उनका जो अपना बुनियादी सिद्धान्त था क्षेत्रीयता, उसमें उन्होंने साम्प्रदायिकता का एक गाढ़ा रंग दे दिया है सबसे दुःख की बात यह है कि महाराष्ट्र की पुलिस ने शिव सेना का साथ दिया। अगर सेना वहां नहीं पहुंची होती तो उस स्थान पर क्या हो जाता, कहा नहीं जा सकता था।

बर्बादी तो बहुत हुई, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, कितने ही लोग मारे गये, करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हो गई, लेकिन यह अच्छी बात हुई कि सेना को वहां जल्दी भेजा गया, जिसकी वजह से उन दंगों पर काबू पा लिया गया और वह काफी हद तक नहीं बढ़े। लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस ने वही रवैय्या अख्त्यार किया जो उत्तर प्रदेश में पी.ए.सी. या बिहार में बी एम पी, बिहार मिलैट्री पुलिस ने अख्त्यार किया था, जिसके बारे में इस सदन में भी चर्चा हो चुकी है।

पंजाब में भी यही हालत है। अभी वाजपेयी जी सही कह रहे थे कि पंजाब में लोगों को पंजाब पुलिस पर कोई भरोसा नहीं था, पंजाब पुलिस ने उग्रवादियों के साथ मिलकर उनको उत्पीड़ित किया है। पुलिस का यही रोल महाराष्ट्र थाणे, बम्बई, भिवण्डी में भी था। सेना को भेजना एक अच्छा काम है।

हैदराबाद में इतने दिनों से दंगे-फसादात हो रहे हैं, आखिर उन पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है? पुराने हैदराबाद में हिन्दू और मुसलमान पारम्परिक रूप से आपस में मिलकर रहा करते थे, वहां मिसाली एकता थी, वहां दंगों का इतिहास कभी पहले नहीं था। जब कि सारे देश में कहीं न कहीं दंगे हुआ करते थे, हैदराबाद में साम्प्रदायिक शांति थी, मेल-मिलाप से लोग रहते थे, कभी भी दंगे का इतिहास हैदराबाद में नहीं था। अब दंगे बराबर हैदराबाद में चल रहे हैं, उन पर काबू नहीं पाया जा रहा है, इसका क्या कारण है?

केरल, कर्नाटक में भी दंगे हुए हैं, खबरें आ रही हैं, इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ यही कारण नहीं है कि हिन्दू, मुसलमान के बीच में किसी मन्दिर, मस्जिद, मजार या स्थान को लेकर या किसी जुलूस को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है और दंगे हो जाते हैं, यह दंगे जो भी करा रहे हैं, उनकी पहचान करनी पड़ेगी।

यह दंगे केवल इसलिए हो रहे हैं, आपको बताने में मैं कोई हर्ज नहीं समझता, कि यह दंगे उस जगह पर हो रहे हैं जहां कि मुसलमान कुछ थोड़ी सम्पन्नता की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे भिवण्डी हो, चाहे मालेगांव हो, बड़ौदा हो, थाणे हो, बम्बई,

[श्री जैनुल बशर]

मुरादाबाद, मेरठ, हो और चाहे वह हैदराबाद हो। जहां मुसलमान सम्पन्नता की तरफ दो चार कदम बढ़ रहे हैं वहां पर जानबूझ कर ये दंगे कराए जा रहे हैं। उन को जान से मारने की फिक्र कर रहे हैं, उन की आर्थिक कमर तोड़ने की फिक्र लोगों को ज्यादा है। जो भी ऐसा, करा रहे हैं, जानबूझ कर साजिश करा रहे हैं। सरकार को इस का पता लगाना चाहिए और मैं समझता हूं कि सरकार को इस का पता होगा भी, गृह मंत्री जी बताएं या न बताए। लेकिन सरकार को इस बात का पता लगाना चाहिए कि यह कौन सी शक्तियां हैं जो ऐसा कर रही हैं?

पहले तो हम इधर वर्षों से खड़े हो कर आर.एस.एस. पर इल्जाम लगा दिया करते थे और एकाध रिपोर्टों में आर.एस. एस. का जिक्र है भी, जमशेदपुर की जो एन्क्वायरी रिपोर्ट निकली उस में आर.एस. एस. को दोषी ठहराया गया। लेकिन दुख की बात है कि अब आर.एस.एस. अकेले नहीं रही हैं, अब और भी बहुत से संगठन शुरू हो गए है जो दंगे करान का काम करा सकते हैं। मैं नहीं कहता कि य संगठन सिर्फ हिन्दुओं मे हैं, हो सकता है य संगठन मुसलमानों में भी हों, हो सकता है दूसरे लोगों में भी हो। हमारे देश म भी दुर्भाग्य से रूढ़िवादिता, फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है चाहे वह हिन्दुओं में हो, चाहे मुसलमानों में और चाहे सिखों में हो। चाहे वह धर्म का फंडामेंटलिज्म हो, चाहे भाषा का हो चाहे क्षेत्र का हो लेकिन यह बढ़ रहा है। उसी का नतीजा हम ने आसाम में देखा, पंजाब में देखा। उसी का नतीजा आन्ध्र प्रदेश में देखा और महाराष्ट्र में देख रहे हैं। यह जो साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं उन के पीछे भी यह बात है। इस को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिएं।

दो ही कदम हो सकते हैं—प्रशासनिक कदम और राजनैतिक कदम। प्रशासनिक कदम में दंगे की रोकथाम के उपाय के लिए व्यापक रूप से काम किया जाना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले तीन चार वर्षों में प्रधान मंत्री ने इस मामले में कुछ सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कुछ कदम उठाए। उन्होंने राज्य सरकारों को निर्देश दिया। केन्द्र सरकार ने भी कुछ अच्छी कार्यवाही की। हमारे गृह मंत्रालय के अन्तर्गत जो सी.आर.पी. और बी.एस. एफ. है उस में कुछ मुसलमानों को नौकरी दी गई, उन को भर्ती किया गया। प्रधान मंत्री ने राज्य सरकारों को भी लिखा कि आप भी पुलिस फोर्स में मुसलमानों को भर्ती कीजिए। कुछ राज्यों में कुछ भर्ती हुई, अधिक तो नहीं हुई लेकिन थोड़ी बहुत हुई और उस के नतीजे अच्छे निकले।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इसी उत्तर प्रदेश की पी.ए.सी. के बारे में जो कि बदनाम पुलिस थी, जिस के बारे में इस सदन में क्या कुछ नहीं कहा गया और अखबार के लोगों ने क्या नहीं लिखा, अभी हाल मे उत्तर प्रदेश में मऊ में, टांडा में और बहराइच में बहुत मामूली छोटी-छोटी साम्प्रदायिक दंगे घटनाएं हुई थीं और वहां के अल्पसंख्यकों ने, मुसलमानों ने पी. ए. सी. की प्रशंसा की, उनकी तारीफ की कि इन लोगों ने हमारी मदद की लोकल पुलिस के मुकाबिले में ज्यादा मदद की। उस का कारण यह था कि पिछले

तीन चार वर्षों में जो कुछ मुसलमानों को पी. ए. सी. में लाया गया उसका अच्छा असर दिखाई दे रहा है। अगर हम महाराष्ट्र में, आन्ध्र प्रदेश में और बिहार वगैरह में भी, दूसरे प्रदेशों में भी जैसा कि प्रधान मंत्री जी का डायरेक्टिव है मुसलमानों को और दूसरे अल्पसंख्यक लोगों को पुलिस में भर्ती करें तो उसका नतीजा अच्छा निकलेगा। पंजाब में भी इसकी जरूरत है। पंजाब की पुलिस में भी एक वर्ग का डामिनेशन है। अगर दूसरे वर्ग को भी उसमें जगह दी जाय, पुलिस भी अगर मिली जुली हो, सभी सम्प्रदाय के लोग उसमें मिलकर काम करें तो यह जो शिकायत आती है कि पुलिस ने ज्यादती की है बनिस्बत दूसरे ग्रुप्स के उस शिकायत से हम बच सकते हैं।

यह सही भी है कि ज्यादातर शिकायतें पुलिस की होती हैं। आपस में दो ग्रुपों में मुठभेड़ बहुत कम होती है, बहुत अधिक नहीं होती हैं लेकिन उसके बाद जो पुलिस अल्पसंख्यकों पर ज्यादती करती है, पुलिस जो अत्याचार करती है, उसकी कहानी हमेशा दर्दनाक होती है—चाहे मुरादाबाद हो, मेरठ हो या भिवण्डी हो या देश का कोई दूसरा भाग हो। तो इस मामले में मैं गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बात को पुनः देखें कि प्रधान मन्त्री जी ने जो निर्देश राज्यों को दिए हैं उनका कितना हद तक पालन हुआ है। अगर पालन ठीक से नहीं हो रहा हो तो उनका पालन कराने की आवश्यकता है।

एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो मुसलमान हैं वे आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर बहुत पिछड़े हुए हैं। जिस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है और प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ रही है तथा जिस प्रकार से विकास हो रहा है उसमें मुसलमानों का हिस्सा बहुत कम है। वे प्रगति कर रहे हैं—इसमें कोई दो रायें नहीं हैं लेकिन जितनी प्रगति करनी चाहिए, जितना पीछे वे हो गए हैं और जितना आगे उनको आना चाहिए उस हिसाब से वे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वे नौकरियों में भी पिछड़े हुए हैं। उनको नौकरियों भी नहीं मिल रही हैं। आप टेलीफोन विभाग की डायरेक्टरी उठाकर देख लीजिए शायद ही एक्का दुक्का कोई मुसलमान अफसर दिखाई दे। इसी तरह से आप प्रदेशों की राजधानियों में भी टेलीफोन डायरेक्टरी को देखें तो बहुत कम मुसलमान अफसर आपको नजर आयेंगे। इसी प्रकार से आज देश में जो औद्योगिक बड़े घराने हैं, उनकी संख्या आप सौ या दो सौ भी ले लीजिए तो उनमें आपको कोई भी मुसलमान बड़ा घराना नहीं मिलेगा। इस प्रकार से उद्योग-धन्धों में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी नौकरियों में कहीं पर भी मुसलमानों को ठीक प्रकार से स्थान नहीं मिल रहे हैं।

अभी पिछले साल पार्लियामेन्ट के मुसलमान मेम्बरों ने प्रधान मन्त्री को एक मेमोरेंडम दिया था। प्रधान मन्त्री ने एक कमेटी बनाई थी गृह मन्त्री की अध्यक्षता में, जोकि उस समय गृह मन्त्री थे। उस कमेटी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। उन्होने कहा कि मुसलमानों को उद्योग-धन्धों के लिए काफी सहायता की जानी चाहिये। उनके लिए टैक्निकल इंस्टीट्यूट खोलने की इजाजत होनी चाहिए। ऐसी जगहों पर

[श्री जैनुल बशर]

सरकार को खुद टेक्निकल इंस्टीटूयट खोलने चाहिए जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो। एक अलग से सेल भी गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत काम कर रहा है लेकिन मैं नहीं जानता क्या प्रगति है। यदि गृह मन्त्री जी अपने भाषण में इस मामले में जो प्रधान मन्त्री ने तय किया है और पहले के होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उसने जो तय किया गया उस पर क्या कार्यवाही हो रही है इस पर प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप भिवण्डी को देख लीजिए, थाने को देख लीजिए यहां पर पावरलूम और हैण्डलूम का काम लोग कर रहे थे लेकिन उनका सारा का सारा उद्योग और सारा का सारा व्यापार बरबाद हो गये हैं। आज सरकारी मदद उनको देनी पड़ेगी ताकि वे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उनका सारा का सारा व्यापार नष्ट हो गया है। वहां पर सरकार को पूरी तरह से मदद करनी चाहिए। दस हजार या पांच हजार देने से काम नहीं चलेगा। जितना भी नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति सरकार को अवश्य करनी चाहिए।

इसी तरह से वहां पर मजदूर थे जो झोपड़ियों में रहते थे। उनकी सारी की सारी झोपड़ियां जला दी गई हैं। वे लोग दूसरे प्रदेशों से आकर वहां पर रोजी रोटी के लिए पड़े थे और झोपड़-पट्टी में रहते थे। उनकी झोपड़ियां जला दी गई हैं।

16.00 hrs.

एक बात की ओर मैं ध्यान और दिलाना चाहता हूं कि जिन जमीनों पर झोपड़-पट्टी लगाई गई थी, उन जमीनों को 20-25 साल पहले किराए पर लोगों को दी गई थी। आज उन जमीनों के दाम ऊंचे हो रहे हैं। यह कहा जाता है कि उन दंगों में जमीनों के मालिकों का भी हाथ था। वे यह चाहते थे कि ये लोग यहां से उजड़ जायें, ताकि हम अपनी जमीनों के अच्छे दाम उठा सकें या किराए पर दे सकें। आज उनको फिर से कब्जा नहीं मिल रहा है। जिन जमीनों पर साल भर से उनकी झोपड़-पट्टी थी, उनको कब्जा नहीं मिल रहा है। अब महाराष्ट्र सरकार ने उसमें कुछ को दिलाई है। लेकिन मुझे बताया गया है कि अभी भी उनको कब्जा नहीं दिया गया है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वहां पर जिन लोगों की झोंपड़-पट्टी थी, उनको पूरा कब्जा दिलाने की कोशिश करे।

उपाध्यक्ष जी, एक बात मैं राष्ट्रीय एकता परिषद् के बारे में कहना चाहता हूं। पिछली राष्ट्रीय एकता परिषद में मैं समझता हूं कि यह तय हुआ था कि राष्ट्रीय एकता परिषद् की शाखा प्रदेशों में और जिला स्तर पर भी खोली जाएगी। लेकिन इस मामले में कोई अमल नहीं हो रहा है। अगर राष्ट्रीय एकता परिषद् की शाखा प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर खोल दी जाए और समय-समय पर साम्प्रदायिक स्थिति का जायजा लेते रहें, तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत अच्छा लाभ होगा। एक बात जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा कि देश में 20-30 ही ऐसे स्थान होंगे, जो सैंसिटिव एरियाज हैं। बहुत अधिक क्षेत्र नहीं है, उन पर ज्यादा कड़ी निगाह रखनी चाहिए। तजुर्बे ने यह बात साबित की है कि जिन जिलों में

दूसरे प्रदेश के अधिकारी होते हैं, वहां पर साम्प्रदायिक दंगों को जल्दी काबू में कर लिया जाता है और जहां पर उस प्रदेश के अधिकारी होते हैं, वहां दिक्कत होती है। वैस्टेड इन्टरैस्ट होते हैं। इसलिए सरकार को मेरा सुझाव है कि जो सैंसिटिव एरियाज हैं, जहां पर दंगों के होने की संभावना बनी रहती हैं, वहां पर जो दो अधिकारी होते हैं—कलैक्टर और एस. पी.—इनमें से एक अधिकारी या तो दूसरे सूबे का होना चाहिए या दूसरे सम्प्रदाय का होना चाहिए। उसी तरह से जिस डिवीजन में जिला पड़ता है, उस डिवीजन का डी.आई.जी और कमीशनर, इन दो अधिकारियों में से एक अधिकारी या तो दूसरे सूबे का होना चाहिए या दूसरे सम्प्रदाय का होना चाहिए। इस बात पर भी मैं वाजपेयी जी का समर्थन करता हूं कि उन जिलों में ऐसे अधिकारी रखे जाने चाहिएं तो बहुत ही एफिशियेंट हो, जिनका इतिहास बहुत अच्छा काम करने का रहा हो। ऐसे अधिकारी को वहां रखा जाना चाहिए।

एक बात की ओर मैं गृह मन्त्री जी का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रत्येक अधिकारी के करेक्टर रोल में इस बात का प्रावधान होना चाहिए कि उसने अपनी सर्विस के जमाने में साम्प्रदायिक भावनाओं को बनाए रखने में, साम्प्रदायिक एकता को बनाए रखने में कितना योगदान दिया है। इस प्रकार का करेक्टर रोल में कालम होना चाहिए और उसमें प्रत्येक अधिकारी की रिपोर्ट अंकित होनी चाहिए कि साम्प्रदायिक एकता के बारे में उसने क्या कदम उठाए हैं और उसका क्या रोल रहा है और किस प्रकार से उसने काम किया है।

एक बात मैं सुझाव के रूप में और कहना चाहता हूं। वह यह है कि साम्प्रदायिक घटनाओं की खबरें आती रहती हैं और जैसी कि रिपोर्ट रही है, भले ही कम हो जाए, लेकिन कुछ समय तक आती रहेंगी। इसी तरह से हरिजनों पर अत्याचार की भी घटनायें बराबर घटती रहती हैं। दूसरे अल्पसंख्यक चाहे भाषायी हों, उनके ऊपर भी अत्यचार की घटनायें बराबर हमारे सामने आती रहती हैं। यदि इस प्रकार की व्यवस्था सम्भव न हो तो केन्द्र में उसके लिए एक अलग मन्त्रालय बनाया जाऐ। जो उन सभी मामलों पर चाहे प्रगति का मामला हो, चाहे उनकी सुरक्षा का मामला हो, सभी पहलुओं पर विचार करे और अगर यह संभव न हो तो कम से कम गृह मन्त्रालय मे एक राज्य मंत्री को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। एक राज्य मन्त्री के जिम्मे यह सारी कार्यवाही अगर हो जायगी तो मैं समझता हूं—इस से बड़ा बल मिलेगा।

अब कुछ शब्द मैं माइनारिज कमीशन के बारे में कहना चाहता हूं। माइनारिटीज कमीशन को अभी तक संवैधानिक हैसियत नहीं मिली है। इसके लिये दूसरे दलों के लोग भी मांग कर रहे हैं और हमारे दल के लोग भी मांग कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं—सरकार के सामने ऐसी कौन सी परेशानी है, रास्ते में कौन सी बाधा आ रही है जिस से माइनारिटीज कमीशन को संवैधानिक हैसियत नहीं दी जा रही है। माइनारिटीज कमीशन की रिपोर्ट के बारे में भी सदन में अभी तक बहस नहीं हुई है—चार साल बीतने को हैं। माइनारिटीज कमीशन ने कई मामलों में अपनी

[श्री जैनुल बशर]

सिफारिशें दी हैं लेकिन उस रिपोर्ट पर इस सदन में कोई बहस नहीं हुई। हमें माईनारिटीज कमीशन की हैसियत को, उसके इफेक्टिवनेस को बढ़ाना पड़ेगा। उस को वही हैसियत देनी चाहिये जो कमिश्नर फार शेडयूल्ड कास्ट्स एण्ड शेडयूल्ड ट्राइब्स को दी गई है। जिस तरह से उन को संवैधानिक हैसियत दी गई है उसी तरह से माइनारिटीज कमीशन को संवैधानिक हैसियत दी जानी चाहिये।

अन्त में, उपाध्यक्ष जी, मैं यह बात जरूर कहना चाहता हूं—साम्प्रदायिक घटनाओं की निन्दा तो सभी करते हैं और करनी भी चाहिये, इससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। दुनिया में जहां हम सीना तान कर चलते हैं, हमारे यहां विभिन्न सम्प्रदायों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, हमारे यहां एक आदर्श जनतन्त्र है, वहीं पर जब इस तरह की घटनायें घटती हैं तो हम सब लोगों को शर्म आती है। सब लोग ऐसी घटनाओं की निन्दा करते हैं, आज वाजपेयी जी ने भी बड़ी जोरदार निन्दा की है, हम उस का स्वागत करते है, लेकिन भगवान के लिए इससे राजनीतिक फायदा मत उठाइये।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : "यह भगवान के लिये" वाली बात क्या है ?

شری رشید مسعود (سہارنپور)
یہ بھگوان کے لئے والی بات کیا ہے

श्री जैनुल बशर: अगर गलत कह रहा हूं तो कह दीजिये। भगवान के लिये इस से राजनीतिक लाभ मत उठाइये। चुनाव आप को भी लड़ना है और चुनाव हमको भी लड़ना है। आपके जमाने में भी साम्प्रदायिक घटनायें हुई थीं, हमारे जमाने में भी हुई हैं। इन घटनाओं की निन्दा करनी चाहिये, इन की रोकथाम के उपाय करने चाहियें। मुझे खुशी है कि इस बार सरकार ने काफी उपाय किये हैं, विशेषकर प्रधान मन्त्री जी ने, और इसका असर यह हुआ है कि उत्तर भारत में साम्प्रदायिक दंगे की सम्भावना खत्म हो गई है; समाप्त हो गई है। उत्तर भारत में अब साम्प्रदायिक दंगा नहीं होगा। अगर वाजपेयी जी या उन की पार्टी कोशिश भी करेंगे तब भी नहीं होगा। अब स्थिति काफी बदल गई है। लेकिन दक्षिण भारत में जो घटनायें हो रही हैं—दक्षिण भारत के मुसलमान कुछ सम्पन्नता की ओर अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं, अपेक्षाकृत उत्तर भारत के, इसलिये वहां घटनायें बढ़ रही हैं, उनको रोकना चाहिये।

16.09 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

वाजपेयी जी ने भी सुझाव दिया है और चौधरी साहब भी बार-बार सुझाव देते आये हैं कि साम्प्रदायिकता के आधार पर जो राजनीतिक दल बनाये जाय उन पर पाबन्दी लगनी चाहिये। मैं इस का स्वागत करता हूं। वाजपेयी जी ने कहा—कांग्रेस की तरफ से इस के बारे में क्या प्रतिक्रिया है। मैं आपकी मांग का स्वागत करता हूं, जरूर पाबन्दी लगनी चाहिए लेकिन उस पाबन्दी में एक व्यवस्था होनी चाहियें, वह व्यवस्था गृह मन्त्री जी क्या करेंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन इस प्रकार की

व्यवस्था भी होनी चाहिये कि जो साम्प्रदायिक संगठन हैं वे अपना राजनीति-फ्रंट (आर्गेनिजेशन) न कायम कर लें। जैसे आर.एस.एस. ने वाजपेयी जी की पार्टी को उछाल दिया। इसी तरह से मुस्लिम लीग है या दूसरे मुस्लिम संगठन हैं—अवामी लीग या और किसी नाम से कोई राजनीतिक पार्टी उछाल दें या जैसे अकाली दल है वह कोई और नाम देकर कोई राजनीकि पार्टी उछाल दे और वे पार्टीयां उनके कन्ट्रोल में रहें उनपर भी पाबन्दी लगनी चाहिये। वाजपेयी जी ने जो कहा है, वह ठीक है लेकिन आपकी मिसाल न दोहराई जाय इसके लिये सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता के आधार पर जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके ऊपर कानूनी पाबन्दी लगाई जाय।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बोलने का समय दिया।

SHRI M.M. LAWRENCE (Idukki): Mr. Chairman, this is the thirty-Seventh year of Independence. After some days we are going to celebrate our Independence Day. When we got independence a blood bath was going on in many parts of our country, especially in the Northern India on communal basis. Everybody hoped that it would end after that. But still even after 37 years we are discussing the same communal disturbances, communal riots and we are trying to find out ways and means to end these communal disturbance and riots.

On so many occasions it has been discussed and decisions were taken. Especially our Prime Minister Shrimati Indira Gandhi has always been making speeches warning against the work of the divisive forces and to stall the incidents of communal strife and riots and all that.

Now we are discussing mainly the incidents in Bhiwandi. It is not the latest, I think the latest is in Hyderabad. In Bhiwandi more than three hundred peoble were killed, thousands were injured, many brothers and sisters are now living without limbs there. How has this happened ? In 1973 also in Bhiwandi there was a communal riot. About 80 people died then, mostly Muslims. Lakhs and lakhs worth of materials were looted by the hooligans then, hundreds of huts were burnt and after 13 Years again this incident took place there and more people died, more looting took place, more arson took place, more huts were burnt and more people were injured. The main responisbility for this rests upon the semi-Fascist organisation Shiva Sena. I am surprised to see that the Members who spoke befor me were not utteirng event a sirngle word against this semi-Fascist organisation, Shiv Sena.

SHRI EDUORDO FALEIRO : Why 'semi' ?

SHRI M. M. LAWRENCE : It is for you to modify. Why are they not bothered to call a spade ? Why ?

My friend from the ruling party was making a very strong speech here. He also was not uttering even a single word against this Shiva Sena who meticulously planned Communal riots there I think there is a reason for this sielnce. This Shiva Sena has helped the ruling party of Maharashtra during the Council election thero. A tacit agreement was there. They helped the Congress (I) members to be elected to the Council. Our Finance Minister while making his Budget speech this year has menitioned about the Coming Great event. The Congress (I) in Maharahtra was appearing Shiv Sena to get their support for that "coming great event" the elections.

SHRI EDUARDO FALEIRO: Why are you making a false statement ?

SHRI M. M. LAWRENCE: You can contradict it.

After 1970 incident the Shivaji Jayanti procession was banned in the sensitive areas. Why was it allowed this Year? It was done to appease the Shiva Sena people. They have lifted the prohibition and allowed them to take the procession to the sensitive areas shouting all kinds of provocative slogans. If the snction for taking this procession was not given, this riot would not have taken place. So, the main responsibility rests upon the Maharashtra Government and the Congress (I) party.

In so many places communal riots are taking place. After that some agitation will start to institute an inquiry commission. The commission will go into the details of that and bring out the report and make recommendations and suggestions. But nothing will be done to implement the recommendations of the commission. After the 1970 incidents, an Inquiry Commission headed by Justice Madam had made some suggestions. But they were not heeded by the Maharashtra Government. Likewise, in the National Integration Council which met in Srinagar from June 20 to 22, 1968 following decisions were taken :

1. Constituting at the State and Central levels of a special intelligence unit composed of persons specially trained and possessing eptitude and absolute impartiality needed for this kind of work :

2. Furnishing by the intelligence agencies of their reports and assessments by the District Magistrates and Superintendent of police regularly.

3. Charging of District Magistrate and Superintendent of police with personal responsibllity by scrutinising these reports and for taking preventive action promptly to forest all any communal disturbances.

4. Keeping of a close watch on numour mongering.

These recommendations were acce ptde by the National Integration Council But did nothing to implement it. What was the Congress (I) Government in Maharashtra doing, what was the Intelligence Service of Maharashtra doing ? As I said earlier, this was meticulously planned in advance by Shiv sena and other Communal forces If the Intelligence Service was functioning properly and promoptly, they would have got the information earlier almust what is going to happen. But, what is the character of the police there ? In 1970 itself, the Madan Committee Report had pointed out that the police in Maharashtra has taken a partisan attitude. After the first Bhiwandi incident, so many persons were arrested from the minority community there, of course from the other side also some persons were arrested. But who were arrested from the minority community were not given even drinking water they were not allowed to take water from the tap. Others were provided shelter in the verandahs of the police station but those who belonged to the minority community were asked to sit in the sun. They were tortured in Custody, they were sent to jail without having been provided adequate room to sit in the van. This is what was pointed out in the Madan Committ ee Report.

In our country all kinds of divisive forces are working with the help of foreign money. In the name of missionary work, so many organisations are working in the North-East and in other parts of the country and the Government also knows it very well that they are being helped by foreign agencies and they are backed by t he imperialists but it is not doing anything to control the activities of these forces which are trying to disintegrate our country. Sir this Government has failed to give any sense of direction to the people after Independence. Why are the communal riots taking place ? Who are dying in these Communal riots ? Only poor people. These riots are taking place between the poor people themselves and not between the big

industrialists, or the big landlords or the big capitalists. When the riots take place in an area these poor people are killing each other, looting each - other and burning each other but, at the same time, those who are rich in both the communities are enjoying their lives in 5-star hotels & all that. That is what is happening. The main thing is to give some sense of direction to the people. Before Independence we had that sense of direction then we had to get our country liberated from the foreign yoke but what is happening after Independence ? The Government is trying to build up capitalism, they are helping capitalists, they are helping the landlords by increasirg the misery of the common people. They want some how to retain the power only to safe guard the interests of the exploiters. They set one community against another. They are using the same tactics which were used by the British imperialists divide and rule. They are afraid of the unity of people. If the poor people of our country, irrespective of whether they are Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, Parsis or who soever they are, if they join together and fight for their interests, naturally they will fight against these reactionary polices of the Government which are fostering the interests of the landlords and the capitalists and other exploiters in this country. So, the ruling party is not interested in unifying the people. What is heppening in Kerala ? Congress (I) is leading a United Front where the majority of the parties are organised on the basis of religion and caste—Christians, Muslims, Ezhavas Nairs etc.

SHRI K. T. KOSALRAM (Tiruchendur) : I can challenge that every political party is like that.

SHRI M. M. LAWRENCE : Even if I accept what he said just for the sake of argument, is it the policy of congress (I) to foster communal organisations for selfish ends to retain power somehow ? That is what they are doing in Kerala.

How we can prevent the Communal riots ? Some organisations are trying to take measures to contain communal riots and disturbances by organising themselves on communal basis. The largest Minority community in our country is the Muslims. The Muslim National Front has been created recently. Will it help contain communal strife, communal tensions and disturbances ? It will not help; it will be a suicidal policy.

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT (Manjeri) : If they combine together and act jointly for the welfare of the country, how is it suicidal ?

SHRI M. M LAWRENCE : It is organised on the basis of religion and communalism. But you cannot contain communalism in that way . . . (*Intertuptions*).

Instead Organiating on Communal basis for their own interest. The minority communities must join hands with all the secular forces, democratic forces and progressive forces in the country. It is only by such a step that the minority communities can stop and contain the atrocities perpetrated on them in the name of the majority community. The common people in the majority Communitiy are not interested in the riots. It is instigated by some interested parties and organisations. So, the only was out for the minority community is to join hands with those secular, democratic and progressive forces, because that is the only way to contain communal riots.

As I mentioned earlier, Congress (I) is the ruling party in our State. What they are doing in Kerala, as in other States, is for selfish political interests, they are joining hands with communal foces, instead of trying to contain them.

16.28 hrs,

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI) INDIRA GANDHI) : Who are they?

SHRI M M LAWRENCE: Congress (I).

SHRIMATI INDIRA GANDHI : I take

[Shri M. M. Lawrence]

very strong object ion to this allegation. There is no basis Whatsoever...

(*Interruptions*)

SHRI M. M. LAWRENCE : Recently, I read a report in the papers that Gopal Godse, who was accused in the Mahatma Gandhi murder case, has appealed to the general public to strengthen the hands of Prime Minister Indira Gandhi.

SHRIMATI INDIRA GANDHI : That does not mean that he is with us or we with him.

SHRI M. M. LAWRENCE : I am not blaming you for that.

(*Interruptions*).

SHRI MATIINDIRA GANDHI : How is it that you are supporting the Marxist Party, the Jan Sangh and all those people ?

SHRI M. M. LAWRENCE : No, no. We never support Jan Sangh, the RSS or any other Communal organisations it is Congress (I) who is hand is glove with them.

SHRIMATI INDIRA GANDHI : We will see what agreements you come to later.

(*Interruptions*)

SHRI M. M. LAWRENCE : May I tell the Hon. Prime Minister that recently in the by-elections in Kerala, in Parur constituency where the Congress (I) condidate contested, the RSS people supported that Congress (I) candidate....

SHRIMATI INDIRA GANDHI : There was no agrrement with them. None at all.

(*Interruptions*)

SHRI M. M. LAWRENCE : This policy has to be ended. This policy will not help to contain communal strife in this country. This will only foster and encourage and strengthen the communal strife in this country.

With these words, I conclude.

———

16.31 hrs.

STATEMENT *RE* : SITUATIONS IN SRI LANKA

THE MINISTRY OF STATE IN THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI NIWAS MIRDHA) : Honourable Chairman and Members of the House,

Recent developments in Sri Lanka are causing us deep concern. There have been reports of sharp deterioration in the security situation in the Northern part of Sri Lanka, resulting in large-scale loss of human life and property. There have also been reports of encounters between Sri Lankan State security forces and Tamil militants. The Sri Lanka security forces have suffered some casualties. Two Naval personnel are reported to have been killed in the violence and a senior police official died in his office in a bomb explosion. Loss of Tamil lives and property have been far greater. There have been reports of large-scale arrests in the Northern province. It has been reported that the town of Velvettiturai has been extensively shelled by the Sri Lankan Navy causing very heavy loss of life and property there. A very large number of people have been rendered homeless and are accommodated in school buildings and elsewhere. These tragic happenings have caused deep agony and shock.

As the House is aware, we have repeatedly expressed our opposition to all forms of violence and have reaffirmed our support for Sri Lanka's integrity and unity. We have taken all steps to